



# CURRENT AFFAIRS

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

**DATE: 25-08-25** 







# The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Monday, 25 Aug, 2025

# **Edition: International Table of Contents**

Page 04	भारत, चीन हिमाचल प्रदेश में शिपकी-ला के	
Syllabus: GS 2: International	रास्ते व्यापार फिर से शुरू करने की योजना बना	
Relations	रहे हैं	
Page 04	डीआरडीओ ने स्वदेशी एकीकृत वायु रक्षा	
Syllabus: GS 3: Science and	प्रणाली का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया	
technology		
Page 04	नेपाल, बाघों की 7 प्रजातियों के संरक्षण के लिए	
Syllabus: GS 2: International	भारत के नेतृत्व वाली पहल में शामिल हुआ	
Relations		
Page 07	क्या भारत आक्रामक प्रजातियों से निपटने की	
Syllabus: GS 3: Environment	लागत को कम आंक रहा है?	
Page 13	'अमृत काल' की ओर ले जाने वाले विधेयक	
Syllabus: GS 3: Indian Economy		
Page 08 : Editorial Analysis	नया संविधान विधेयक, संतुलन की आवश्यकता	
Syllabus: GS 2: Indian Polity		





#### Page 04: GS 2: International Relations

भारत और चीन हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में शिपकी-ला के ज़िरए सीमा व्यापार फिर से शुरू करने की संभावना तलाश रहे हैं, जो कोविड-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित है। यह घटनाक्रम चीनी विदेश मंत्री वांग यी की हालिया भारत यात्रा के बाद हुआ है, जिसके दौरान बीजिंग ने भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमित जताई थी। यह मुद्दा न केवल द्विपक्षीय

व्यापार के लिए, बल्कि विशेष रूप से हिमालयी सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

#### समाचार के मुख्य अंश

- ऐतिहासिक मार्ग: शिपकी-ला, लिपुलेख (उत्तराखंड) और नाथू ला (सिक्किम) के साथ, तीन निर्दिष्ट भारत-चीन व्यापार बिंदुओं में से एक है।
- 2020 में निलंबन: महामारी और व्यापक भू-राजनीतिक तनाव के बाद व्यापार रुक गया था।
- पुनरुद्धार के प्रयास: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखिवंदर सिंह सुख्यू ने इसे फिर से खोलने पर ज़ोर दिया; केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से चीन के साथ इस मुद्दे को उठाया।
- चीन की सकारात्मक प्रतिक्रिया: चीन शिपकी-ला के रास्ते व्यापार फिर से शुरू करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है।
- कैलाश मानसरोवर यात्रा: लिपुलेख और नाथू ला के अतिरिक्त, शिपकी-ला को एक अतिरिक्त तीर्थयात्रा मार्ग के रूप में अनुमित देने पर भी चर्चा चल रही है।
- अगले कदम: प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए इस मामले को केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के समक्ष उठाया जाएगा।

#### महत्व

#### 1. आर्थिक और स्थानीय आजीविका

- o हिमाचल प्रदेश के आदिवासी समुदायों के लिए पारंपरिक सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देता है।
- o स्थानीय उपजं (सेब, सूखे मेवे, ऊन) के लिए बाजार पहुँच प्रदान करता है।
- ० सीमावर्ती जिलों में राजस्व और आजीविका के अवसर पैदा करता है।

# India, China plan to resume trade via Shipki-La in Himachal

Press Trust of India
SHIMLA

China has agreed in principle to the proposal of resuming trade through Shipki-La in Kinnaur district of Himachal Pradesh during the recent visit of its Foreign Minister Wang Yi to India, a statement by the State government said on Sunday.

Trade through the route was suspended in 2020 due to the COVID-19 pandemic.

External Affairs Minister S. Jaishankar has informed the State government that the Union government has initiated discussions with China for the resumption of border trade through all three designated points – Shipki-La (Himachal Pradesh), Lipulekh (Uttarakhand) and Nathu La (Sikkim), the statement said.

"The Himachal government's consistent efforts to resume trade with China through Shipki-La (Kinnaur) have yielded encouraging results. The government of China has agreed in principle to the proposal during the recent visit of Chinese Foreign Minister Wang Yi to India," the statement said.

"This breakthrough was made possible due to the

Trade through the route was suspended in 2020 due to the COVID-19 pandemic

personal intervention of Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu, who had written to the Union government urging for the revival of the historic Indo-Tibetan trade route" following which the Centre "formally took up the matter with China", leading to a consensus to restart the trade," the statement said.

The State government would now take up the matter with the Union Commerce Ministry for completing codal formalities.

The State government has also received a positive response regarding the resumption of the Kailash Mansarovar Yatra through Shipki-La, it said.

The External Affairs Minister, in a letter to the CM, conveyed that after a five-year gap, the Kailash Mansarovar Yatra has resumed through Lipulekh Pass (Uttarakhand) and Nathu La Pass (Sikkim), and discussions are under way with China on the possibility of adding Shipki-La as an additional route.





#### 2. सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व

- o हिंदुओं और बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थयात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाता है।
- ० सर्दियों पुराने भारत-तिब्बत व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करता है।

#### 3. सामरिक और कूटनीतिक पहलू

- o शिपकी-ला के माध्यम से व्यापार की बहाली 2020 के गलवान संघर्ष के बाद तनावपूर्ण संबंधों में सुधार का संकेत देती है।
- o यह भारत और चीन के बीच विश्वास-निर्माण उपाय (CBM) के रूप में कार्य करता है।
- o संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी विचारों के साथ व्यापारिक हितों को संतुलित करता है।

#### चुनौतियाँ

- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: भारत-चीन तनाव को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों से निकटता।
- बुनियादी ढाँचे की कमी: शिपकी-ला में बेहतर सड़क संपर्क, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधाओं की आवश्यकता।
- चीन पर निर्भरता: व्यापार असंतुलन और भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण भारत का सतर्क दृष्टिकोण।

#### निष्कर्ष

शिपकी-ला के माध्यम से व्यापार की संभावित बहाली ऐतिहासिक भारत-तिब्बत संबंधों को पुनर्जीवित करने, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने और तीर्थयात्रा तक पहुँच में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालाँकि, यह कदम एक कूटनीतिक शुरुआत का संकेत देता है, लेकिन चीन के साथ चल रहे सीमा विवादों और रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता की पृष्ठभूमि में इसे सावधानी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यूपीएससी के लिए यह विकास विदेश नीति, सीमा प्रबंधन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक कूटनीति के अंतर्संबंध को दर्शाता है।

#### **UPSC Mains Practice Question**

$\sim \sim $	, , , , ,	c c	$\sim$ $\sim$	C ₹.
प्रश्न: निम्नालाखत म स क	ौन से भारत और चीन के बी	च आधिकारिक तीर	पर नामित सीमा व्यापार म	ाग ह?

- 1. शिपकी-ला
- 2. लिपुलेख
- 3. नाथू ला
- 4. बोमडिला

सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: **(**a)





#### Page 03: GS 2: International Relations

भारत ने रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा तट से एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS) का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। यह उपलब्धि भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता को मज़बूत करती है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के तहत हुई प्रगति को दर्शाती है।

## DRDO successfully conducts maiden tests of indigenous integrated air defence system

Saurabh Trivedi NEW DELHI

The Defence Research and **Development Organisation** (DRDO) successfully conducted the maiden flight tests of the Integrated Air Defence Weapon System (IADWS) off the coast of Odisha around 12.30 p.m. on Saturday.

According to the Defence Ministry, the IADWS is a multi-layered air defence system comprising indigenous Quick Reaction Surface-to-Air Missiles (QRSAM), Advanced Very Short Range Air Defence System (VSHORADS) missiles, and a high-power laser-based Directed Energy Weapon (DEW). The integrated operation of all weapon system components is controlled by a Centralised Command and Control Centre developed by DRDO, which is the being nodal laboratory of the



The Integrated Air Defence Weapon System being deployed off the coast of Odisha on Saturday. ANI

programme.

Three different targets, including two high-speed fixed wing unmanned aerial vehicle (UAV) targets and a multi-copter drone, were simultaneously engaged and destroyed com-

pletely by the QRSAM, VSHORADS and high-energy laser weapon system at different ranges and altitudes. All the weapon system components, including missile systems, drone detection and destruction

system, weapon system command and control along with communication and radars, performed flawlessly, which was confirmed by range instruments deployed by the Integrated Test Range at Chandipur. The test was witnessed by senior scientists from the DRDO and representatives from the armed forces, a press release stated.

Defence Minister Rajnath Singh complimented the DRDO, the armed forces, and industry for successful development of the IADWS.

He stated that this unique flight tests has established the multi-layered air-defence capability of the country and is going to strengthen area defence for important facilities against enemy aerial

Secretary, Department of Defence R&D and Chairman DRDO Secretary of Department of Defence (Research and Development) and DRDO Chairman Dr. Samir V. Kamat has congratulated all teams involved in the successful flight tests.

#### IADWS की प्रमुख विशेषताएँ

#### बहस्तरीय वायु रक्षाः

- o त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (QRSAM) मध्यम दूरी, उच्च गति वाले लक्ष्यों के लिए।
- उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली (VSHORADS) कम ऊँचाई वाले हवाई खतरों के लिए कम दूरी। निर्देशित ऊर्जा हथियार (DEW) ड्रोन और यूएवी को निष्क्रिय करने के लिए उच्च शक्ति वाली लेज़र-आधारित प्रणाली।





#### कमान और नियंत्रण:

- एकीकृत संचालन के लिए DRDO द्वारा विकसित केंद्रीकृत प्रणाली।
- 🔾 मिसाइँल प्रणालियों, रडार और डिटेक्शन प्लेटफ़ॉर्म के बीच वास्तविक समय में समन्वय को सक्षम बनाता है।

#### परीक्षण विवरण:

- एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर), चांदीपुर (ओडिशा) में आयोजित।
- 🔾 तीन अलग-अलग लक्ष्यों (दो उच्च गति वाले यूएवी + एक मल्टी-कॉप्टर ड्रोन) पर निशाना साधा और उन्हें नष्ट किया।
- o विभिन्न ऊँचाइयों और दूरियों पर प्रभावशीलता की पुष्टि की गई।

#### महत्व

#### 1. सामरिक और रक्षा तत्परता

- 。 दुश्मन के विमानों, ड्रोन, यूएवी और सटीक हथियारों के खिलाफ क्षेत्रीय रक्षा प्रदान करता है।
- महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाता है।

#### 2. स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भर भारत

- भारतीय उद्योग की भागीदारी से डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित।
- आयातित मिसाइल रक्षा प्रणालियों पर निर्भरता कम करता है।

#### 3. तकनीकी उन्नति

- पारंपरिक मिसाइल रक्षा + लेजर-आधारित हथियारों का सफल एकीकरण।
- निर्देशित ऊर्जा हथियारों (डीईडब्ल्यू) भविष्य की तकनीक में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करता है।

#### 4. परिचालन उपयोगिता

- सीमावर्ती क्षेत्रों और संवेदनशील प्रतिष्ठानों में तैनात किया जा सकता है।
- हाल के संघर्षों (जैसे, रूस-यूक्रेन, आर्मेनिया-अज़रबैजान) में देखे गए उभरते ड्रोन युद्ध के खतरे को संबोधित करता है।

#### चुनौतियाँ

- सशस्त्र बलों की तैनाती के लिए उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता।
- उभरते हवाई खतरों (स्टील्थ ड्रोन, हाइपरसोनिक हथियार) के विरुद्ध निरंतर उन्नयन।
- आकाश, एस-400 और आगामी स्वदेशी बीएमडी जैसी मौजूदा वायु रक्षा प्रणालियों के साथ एकीकरण।





#### निष्कर्ष

एकीकृत वायु रक्षा हिथयार प्रणाली (IADWS) का सफल परीक्षण भारत की एक मजबूत, स्वदेशी और भिवष्योन्मुखी वायु रक्षा कवच की खोज में एक मील का पत्थर है। मिसाइलों और लेज़र-आधारित डीईडब्ल्यू के संयोजन वाली स्तरित सुरक्षा के साथ, भारत अब एक आत्मिनर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के करीब पहुँच रहा है। यूपीएससी के लिए, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा स्वदेशीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों के विषयों का उदाहरण है।

#### **UPSC Prelims Practice Question**

प्रश्न: निम्नलिखित हथियारों पर विचार करें जो भारत की एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS) का हिस्सा हैं:

- 1. त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (QRSAM)
- 2. उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली (VSHORADS)
- 3. उच्च शक्ति लेजर-आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार (DEW)
- 4. पृथ्वी मिसाइल

उपरोक्त में से कौन से IADWS में शामिल हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: **(**a)





#### Page: 04: GS 2: International relations

24 अगस्त 2025 को, नेपाल फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) का सदस्य बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2023 में कर्नाटक के मैसूर में शुरू किए गए इस गठबंधन का उद्देश्य दुनिया भर में सात बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों के संरक्षण का है। नेपाल का इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ बाघ, हिम तेंदुए और सामान्य तेंदुए पाए जाते हैं, जो इसे दिक्षण एशिया में बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण रेंज वाला देश बनाता है।

#### अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) के बारे में

 शुभारंभ: 9 अप्रैल, 2023, मैसूर, कर्नाटक (प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में)।

#### शामिल प्रजातियाँ:

- 1. बाघ
- 2. शेर
- 3. तेंदुआ
- 4. हिम तेंदुआ
- ५. चीता
- ६. जगुआर
- ७. प्यूमा
- सदस्यता: सभी 90+ बड़ी बिल्लियों की रेंज वाले देशों, और संरक्षण में रुचि रखने वाले गैर-रेंज वाले देशों के लिए भी खुली है।

#### उद्देश्य:

- o अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और वित्त पोषण के माध्यम से संरक्षण को बढ़ावा देना।
- o बड़े बाघों की पारिस्थितिकी और खतरों पर एक वैश्विक ज्ञान-साझाकरण मंच तैयार करना।
- o सीमा पार संरक्षण के लिए संसाधन जुटाना।

#### नेपाल के IBCA में शामिल होने का महत्व

#### 1. पारिस्थितिक महत्व

o नेपाल तीन बड़े बाघों का घर है: बाघ (तराई के मैदान), हिम तेंदुआ (हिमालयी पर्वतमाला), और सामान्य तेंदुआ (मध्य-पहाडी)।

# Nepal joins India-led initiative to protect 7 species of big cats

#### Press Trust of India

KATHMANDU

Nepal has officially joined the International Big Cat Alliance (IBCA), an Indialed global initiative to protect seven species of big cats.

The IBCA is a multicountry, multi-agency coalition of over 90 big cat range countries and nonrange countries with an interest in big cat conservation.

"Nepal has formally joined the International Big Cat Alliance (IBCA) by signing the Framework Agreement," announced the IBCA on Saturday (August 24, 2025).

"With snow leopard, tiger and common leopard in its landscape, Nepal's joining the IBCA will strengthen global collaboration for big cat conservation," the IBCA said.

The IBCA has "congratulated the Government of Nepal for this significant step towards shared ecologically significant step towards ecological security".

Prime Minister Narendra Modi launched the International Big Cat Alliance (IBCA) for global conservation of seven big cats, namely tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar and puma on April 9, 2023, in Mysuru, Karnataka. India has a long-standing experience on tiger agenda and exemplary conservation models for other big cats such as lion, snow leopard and leopard.

With the help of this platform, big cat range countries can share their experiences and mobilise resources in order to find solutions to conserve big cats.





o भारत के साथ सीमा पार संरक्षण को मज़बूत करता है, विशेष रूप से तराई आर्क लैंडस्केप (साझा बाघ आवास) में।

#### 2. क्षेत्रीय सहयोग

- o जैव विविधता संरक्षण में भारत-नेपाल सहयोग को बढ़ावा देता है।
- o वैश्विक संरक्षण कूटनीति में दक्षिण एशियाई नेतृत्व को बढ़ाता है।

#### 3. वैश्विक संरक्षण प्रभाव

- o IBCA के उद्देश्यों में विश्वसनीयता और गति जोड़ता है।
- o संयुक्त परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता और वित्त पोषण को एकत्रित करने में मदद करता है।

#### भारत की भूमिका

- संरक्षण में अनुभव:
  - o प्रोजेक्ट टाइगर (1973) सफल मॉडल, बाघों की संख्या में वृद्धि।
  - o एशियाई शेरों का संरक्षण (गिर, गुजरात)।
  - o सिक्योर हिमालय परियोजना के अंतर्गत हिम तेंदुआ संरक्षण।
  - ० चीता पुनरुत्पादन परियोजना (कुनो, मध्य प्रदेश)।
- नेतृत्व: भारत अपने घरेलू अनुभव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करते हुए, स्वयं को एक वैश्विक संरक्षण नेता के रूप में स्थापित कर रहा है।

#### आगे की चुनौतियाँ

- अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार (विशेषकर बाघ की खाल, तेंद्र की खाल और हङ्डियाँ)।
- बुनियादी ढाँचे के विस्तार के कारण आवास विखंडन।
- बफर ज़ोन में मानव-वन्यजीव संघर्ष।
- जलवायु परिवर्तन हिम तेंदुओं के आवासों को प्रभावित कर रहा है।

#### निष्कर्ष

अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में नेपाल का प्रवेश क्षेत्रीय और वैश्विक जैव विविधता प्रशासन में एक मील का पत्थर है। यह उन प्रतिष्ठित प्रजातियों के संरक्षण के सामूहिक संकल्प को मजबूत करता है जो न केवल पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, बिल्क सांस्कृतिक विरासत से भी गहराई से जुड़ी हैं। भारत द्वारा आईबीसीए का नेतृत्व करने तथा नेपाल जैसे देशों के इसमें शामिल होने से यह पहल सीमापार वन्यजीव सहयोग के लिए एक आदर्श बनने तथा मानव युग में पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम बनने के लिए तैयार है।





#### **UPSC Prelims Practice Question**

प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. इसे 2023 में काठमांडू में ग्लोबल टाइगर सिमट के दौरान लॉन्च किया गया था।
- 2. इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और जगुआर सहित बड़ी बिल्लियों की सात प्रजातियों का संरक्षण करना है।
- 3. सदस्यता केवल बड़ी बिल्ली वाले देशों तक ही सीमित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

**उत्तर:** b)

#### **UPSC Mains Practice Question**

प्रश्नः अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) जैव विविधता संरक्षण में एक वैश्विक नेता के रूप में भारत की उभरती भूमिका को दर्शाता है। क्षेत्रीय सहयोग, पारिस्थितिक सुरक्षा और भारत की संरक्षण कूटनीति के संदर्भ में आईबीसीए के महत्व पर चर्चा कीजिए। (250 Words)





#### Page 07: GS 3: Environment

नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्युशन में प्रकाशित एक नए अध्ययन से पता चला है कि गैर-देशी आक्रामक प्रजातियों ने वैश्विक स्तर पर (1960-2022) 2.2 टिलियन डॉलर से अधिक का आर्थिक नुकसान पहुँचाया है, जिसमें पौधे सबसे अधिक आर्थिक रूप से प्रभावशाली समह हैं। भारत के लिए, निष्कर्ष प्रबंधन लागतों की भारी कम रिपोर्टिंग को उजागर करते हैं, जिसमें 1.16 बिलियन प्रतिशत की दर्जें विसंगति है - जो सभी मूल्यांकन किए गए देशों में सबसे अधिक है। यह आक्रामक विदेशी प्रजातियों (IAS) द्वारा उत्पन्न बढते पारिस्थितिक और आर्थिक खतरे का आकलन, दस्तावेज़ीकरण और प्रतिक्रिया करने की भारत की क्षमता पर गंभीर प्रश्न उठाता है।

#### Is India underestimating the cost of dealing with invasive species?

In a new assessment, non-native plants have emerged as the most economically impactful invasive species worldwide as well as the costliest group vis-à-vis the cost of

Monika Mondal

amage from non-native plants and animals expanding into new ecosystems has cost society more than \$2.2 trillion vorldwide, a new study by an international team of researchers has aid

by country, and modelling exercises to analyse data from 1960. It concluded that costs may have been underestimated by 16s over previous estimates. Beyond global economic losses, the study also modelled the impact in 78 countries for which no data was previously available. In India, a nation

InvaCost database, which may be overlooking reports in languages predominant in Africa and Asia. Europe reported a discrepancy of 15,044%, followed by Asia (3,090%), and Africa (1,944%). The median cost discrepancy among the assessed countries was 3,244%.

Mr. Leung said he was unsure of



Alarge porion of flandquir stational Park is coused Intila-level specificaes or how the figures break clown, but noed that general supported the properties of the control of different elements like presention, end efforts to slow the spread of invasion. "These are all tools used for managing invasions," he said. S. Sandilyan, a former fellow on Invasive Allen Species at the Centre for incoloresty Polys and Law in Chemial, sold the properties, and strategically funding biological invasion management. Lack of centralised data systems, limited inter-agency coordination, and competing conservation profired searchest their conservation profired searchest their conservation profired searchest leaf.

A global discrepancy
Burupe was found to have the highest
potential impact in absolute terms at SL.5
trillion (71.45% of global cost), followed by
North America (S25 billion), and sustrals
and Oceania (S25 billion), and sustrals
and Oceania (S25 billion), and sustrals
and Oceania (S27 billion).
Brian Leung, one of the lead
researchers and the UNISCO Chair for
Diologues on Sustainability, sid, 'The
Bocane of the out of things in Burupe.
There's more to damage, the cost of the
agricultural products, and the cost of of
management might be higher.'
The study dhat or estimate a total
economic damage figure for India in
deconomic damage figure for India
a boshute terms but emphasised the
magnitude of underreported
management rarge produced and systems, limited
controlled the study of the study of the study of the outper of the study of the outper of the study of the stu could drive at the cost of its incumbents – primarily throught trade and trave, lebelped along by globalisation and balaerad olabs. They singled out papenses knoweed (Reynouring jagrinicia) and control to the single personal particular and proposed in the proposed personal particular and proposed personal particular and invasive species would make the problem worse. "A lot of the agricultural products that dominate our system now are not native," be said.

it doesn't mean the damages as a he explained. While the study does not say anything hoot the state of imassive species, it may be a call to action. Its specific analysis and the database were based on the merce economic costs, according to Mr. Leung, "because Is' often easier to measure and people often understand money better." (Monito Mandali is a fredunce science and emirroument journalist.

# THE GIST

practice: the International Convention for the Control and Management of Ship's Italians Water and Sediments (d. k., Palians Marie and Sediments) (d. k., Palians Marie

#### वर्तमान मुद्दा

#### वैश्विक निष्कर्षः

- o पौधे (\$926 बिलियन), आर्थ्रोपोड (\$830 बिलियन), स्तनधारी (\$263 बिलियन) शीर्ष आक्रामक समूह हैं।
- o यूरोप ने सबसे अधिक समग्र लागत (\$1.5 ट्रिलियन) की सूचना दी।
- o वैश्विक स्तर पर प्रबंधन लागत पहले के अनुमानों की तुलना में 16 गुना कम आंकी गई है।





#### भारत-विशिष्ट चिंता:

- o भारत में लागत रिपोर्टिंग का अंतर विश्व स्तर पर सबसे बड़ा है, जो भारी छिपे हुए खर्चीं का संकेत देता है।
- o प्रबंधन व्यय या तो अलिखित हैं या केंद्रीकृत रिपोर्टिंग के बिना एजेंसियों में बिखरे हुए हैं।
- o उदाहरण: बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में लैंटाना कैमरा का बोलबाला है, जो अग्नि व्यवस्था और जैव विविधता को बदल रहा है, लेकिन इसके नियंत्रण लागतों पर व्यवस्थित रूप से नज़र नहीं रखी जाती है।

#### भारत में कम आकलन क्यों?

- 1. कमज़ोर डेटा सिस्टम लागत ट्रैकिंग और प्रभाव आकलन के लिए कोई केंद्रीकृत तंत्र नहीं।
- 2. खंडित संस्थागत भूमिकाएँ पर्योवरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य वन विभागों, कृषि मंत्रालयों और जैव विविधता बोर्डों के बीच ओवरलैप।
- 3. भाषा और दस्तावेज़ीकरण पूर्वाग्रह भारतीय भाषाओं में स्थानीय रिपोर्ट इनवाकॉस्ट जैसे वैश्विक डेटाबेस में शामिल नहीं हो सकती हैं।
- 4. प्रतिस्पर्धी संरक्षण प्राथमिकताएँ प्रमुख प्रजातियों (बाघ, हाथी) का संरक्षण अक्सर आईएएस प्रबंधन को दरिकनार कर देता है।
- 5. सीमित वित्तपोषण आईएएस नियंत्रण को अक्सर तदर्थ परियोजना-आधारित गतिविधि माना जाता है, जिसे दीर्घकालिक योजना में एकीकृत नहीं किया जाता।

#### भारत में आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रभाव

#### पारिस्थितिक:

- o लैंटाना, पार्थेनियम, प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा देशी वनस्पतियों को पछाड़ देते हैं।
- o अग्नि चक्र, मुदा स्वास्थ्य, परागण पैटर्न और वन्यजीवों की आवाजाही को प्रभावित करते हैं।

#### आर्थिक:

- o फॉल आर्मीवर्म जैसे कीटों से कृषि को नुकसान।
- o चारे की उपलब्धता में कमी, प्रशुधन को प्रभावित करती है।
- o वन प्रबंधन लागत में वृद्धि।

#### सामाजिक:

- o आक्रामक प्रजातियों द्वारा आवासों में परिवर्तन के कारण मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ता है।
- o ग्रामीण समुदायों को वन संसाधनों तक पहुँच में कमी का सामना करना पड़ता है।

#### वैश्विक और राष्ट्रीय प्रयास

- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनः
  - o आईएएस पर जैविक विविधता सम्मेलन (सीबीडी) के दायित्व।





o बैलस्ट जल प्रबंधन सम्मेलन (जहाजरानी-संबंधी प्रजातियों का स्थानांतरण)।

#### भारत के उपाय:

- o राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (एनबीएपी) में आईएएस नियंत्रण का उल्लेख है।
- o सिक्योर हिमालय जैसी परियोजनाएँ हिम तेंदुओं के आवासों और आक्रामक खतरों का समाधान करती हैं।
- o राज्य-विशिष्ट प्रयास: कर्नाटक और मध्य प्रदेश में लैंटाना का यांत्रिक निष्कासन।
- लेकिन ये टुकड़े-टुकड़े और अपर्याप्त रूप से प्रलेखित हैं, और इनमें एक एकीकृत राष्ट्रीय आईएएस रणनीति का अभाव है।

#### आगे की राह

- 1. केंद्रीकृत डेटाबेस: इनवैकॉस्ट से जुड़ी एक राष्ट्रीय आक्रामक प्रजाति सूचना प्रणाली स्थापित करें।
- 2. समर्पित आईएएस मिशन: प्रोजेक्ट टाइगर के समान, दीर्घकालिक उन्मूलन/नियंत्रण के लिए।
- 3. एकीकृत शासन: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और राज्य जैव विविधता बोर्डी के बीच बेहतर समन्वय।
- 4. सामुदायिक भागीदारी: यांत्रिक निष्कासन, वैकल्पिक आजीविका सृजन में स्थानीय समुदायों को शामिल करें।
- 5. अनुसंधान और नवाचार: जैविक नियंत्रण, एआई-आधारित निगरानीं और जीआईएस मानचित्रण में निवेश करें।
- 6. लागतों को मुख्यधारा में लाना: पर्यावरणीय नियोजन में आईएएस प्रबंधन को एक प्रमुख बजटीय प्राथमिकता के रूप में मान्यता दें।

#### निष्कर्ष

 अध्ययन के निष्कर्ष भारत के लिए एक चेतावनी हैं। आक्रामक प्रजातियों की लागत को कम आंकने और कम करके बताने से, देश न केवल पारिस्थितिक क्षरण का जोखिम उठाता है, बल्कि छिपे हुए आर्थिक नुकसान भी उठाता है जो विकास और आजीविका सुरक्षा को कमज़ोर करते हैं। भारत के जैव विविधता शासन को वैश्विक संरक्षण प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित करने के लिए मज़बूत डेटा सिस्टम, वित्त पोषण और समुदाय-संचालित प्रबंधन वाली एक राष्ट्रीय रणनीति आवश्यक है।

#### **UPSC Mains Practice Question**

प्रश्न: "भारत आक्रामक विदेशी प्रजातियों की आर्थिक और पारिस्थितिक लागत को कम करके आंक रहा है।" भारत में आक्रामक प्रजातियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और प्रभावी प्रबंधन के लिए एक रोडमैप सुझाइए। (150 Words)





#### Page 13: GS 3: Indian Economy

संसद का मानसून सत्र 2025 भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण रहा, जिसमें पाँच प्रमुख विधेयक पारित हुए: मर्चेंट शिपिंग विधेयक, भारतीय बंदरगाह विधेयक, तटीय नौवहन अधिनियम, समुद्री माल ढुलाई अधिनियम और लदान बिल अधिनियम। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के कानूनों को एक दूरदर्शी कानूनी ढाँचे से प्रतिस्थापित करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप है, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देता है, और मैरीटाइम इंडिया विज़न 2047 के तहत भारत के वैश्विक समुद्री केंद्र बनने के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करता है।

# Bills to steer voyage to 'Amrit Kaal'

The just concluded Monsoon Session of Parliament cleared five key legislations, replacing archaic laws; together, they aim to ease business processes, align India with international conventions, and accelerate investments in ports, shipbuilding, and shipping services

#### NEWS ANALYSIS

#### **Abhishek Law**

n a first, India has enacted a sweeping overhaul of its maritime sector, replacing all pre-Independence era laws with a modernised framework that seeks to make the country a global maritime hub.

The just concluded Monsoon Session of the Parliament cleared five key legislations, namely, the Merchant Shipping Bill; the Indian Ports Bill; the Coastal Shipping Act (after receiving Presidential assent); the Carriage of Goods by Sea Act (after Presidential assent), and the Bills of Lading Act (after Presidential assent).

Together, they aim to ease business processes, align India with international conventions, and accelerate investments in ports, shipbuilding, and shipping services.

"This has been a landmark session with these new legislations set to transform India's maritime sector, and bring in a wave of new investments," said Union Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal.

#### Atmanirbhar seas

The centrepiece of the reforms - the Merchant Shipping Act, 2025 - provides a robust legal framework to realise India's Maritime Amrit Kaal Vision 2047. It replaces colonial-era provisions and updates India's



Smooth sail: Expanded ownership categories will enable registration of chartered vessels in India. PTI

maritime regulation in line with International Maritime Organization (IMO) conventions and global best practices.

The law aims to increase tonnage under the Indian flag; reduce dependence on foreign vessels, and boost India's image as a reliable shipping jurisdiction.

Expanded ownership categories will enable registration of chartered vessels in India - a segment it intends to tap, while quality training and skill development of seafarers will create new employment opportunities.

Crucially, it mandates a stronger salvage ecosystem, safety standards in navigation, and preventive measures for marine pollution. Stringent environment protection laws covering oil-spill have also been included.

"This is about making India not just self-reliant in 66

This has been a landmark session with these new legislations set to transform India's maritime sector, and bring in a wave of new investments

SARBANANDA SONOWAL, Union Minister for Ports, Shipping and Waterways

shipping but also a responsible stakeholder in global seas," said a senior ministry official.

#### Indian Ports Bill

Ports are the gateways to India's maritime economy, handling over 90 per cent of trade by volume.

The new Indian Ports Act, 2025, establishes a forward-looking framework for port development, data-driven planning, and integration with India's global commitments on pollution control.

The Act mandates longterm evidence-based planning, requires ports to maintain emergency preparedness and reception facilities for waste, and creates State Maritime Boards and dispute resolution committees. A national maritime single window system will centralise portrelated data, enabling transparency and efficiency.

Coastal States will be empowered to set up State Maritime Boards, bringing uniform and transparent governance across India's 12 major and 200+ non-major ports. The Bill also creates dispute resolution committees to deliver sector-specific redressal in a timely manner.

"Single-window system for maintenance and accessibility of port-related data; improved trade data, and lower logistics cost are seen as logical impact. It will enhance India's EXIM competitiveness," said a second Ministry official.

The expected outcome include accelerated port capacity growth at local, State, and national levels; improved trade connectivity; lower logistics costs, and job creation.

The Coastal Shipping Act, 2025, focuses on reducing logistics cost, promoting sustainable transport, and boosting India's domestic shipping industry. It exempts Indian vessels from licensing requirements. This allows more cargo movement through India-flagged vessels. By promoting Indian ownership of coastal fleets, the law seeks to cut dependence on foreign ships for domestic cargo movement. A National Coastal and Inland Shipping Strategic Plan and a publicly accessible National Database of Coastal Shipping will guide investment and policy priorities. Promotion and development of integrated coastal and inland waterways is part of upscaling measures.

The government projects India's coastal cargo movement to rise nearly eight-fold - from 165 million tonnes today to 1,300 million tonnes by 2047.

This Act replaces archaic carriage laws with simplified provisions, adopting the globally-recognised Hague-Visby Rules that govern liabilities and rights of carriers and shippers. It will facilitate smoother implementation of trade pacts like the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between India and the UK, particularly for sea-borne exports.

Officials said the law enhances transparency, commercial efficiency, and strengthens India's credentials as a maritime trading nation on a par with global standards.

Bills of Lading and documents crucial to maritime trade, now have a clear, modern legal framework.

The Act provides for the transfer of rights of suit and liabilities to the consignate or lawful endorsee, reducing ambiguity that often lead to litigation.

By simplifying language and aligning with best practices, the Act promotes ease of doing business and ensures smoother transactions between carriers, shippers, and lawful holders of Bills of Lading.

According to Rajiv Jalota, former Chairman, Mumbai Port Authority, the legislations are more than statutory updates. They are strategic enablers supporting India's vision under Maritime India Vision 2047. They create a more competitive environment for Indian shipping and port services.

Taken together, these legislations mark the most comprehensive reforms in India's maritime history.

As India positions itself for the next phase of growth, the seas here, once regulated by outdated colonial laws, are now charted for Amrit Kaal.

(The writer is with The Hindu businessline)





#### सुधारों की मुख्य विशेषताएँ

#### 1. मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 2025

- o पुराने औपनिवेशिक प्रावधानों को वैश्विक रूप से मानकीकृत नियमों से प्रतिस्थापित करता है।
- o भारतीय ध्वज के तहत चार्टर्ड जहाजों को पंजीकृत करने के लिए स्वामित्व श्रेणियों का विस्तार करता है।
- o टन भार वृद्धि, सुरक्षा, बचाव पारिस्थितिकी तंत्र और समुद्री प्रदूषण नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करता है।
- o भारतीय नाविकों के प्रशिक्षण और कौशल विकास के माध्यम से रोजगार को मजबूत करता है।

#### 2. भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025

- o प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों के पारदर्शी प्रशासन के लिए राज्य समुद्री बोर्डों की स्थापना।
- o डेटा केंद्रीकरण के लिए एक राष्ट्रीय समुद्री एकल खिड़की प्रणाली की शुरुआत।
- o दीर्घकालिक साक्ष्य-आधारित योजना, अपशिष्ट प्राप्ति सुविधाएँ और आपातकालीन तैयारियाँ सुनिश्चित करता है।
- o इसका उद्देश्य रसद लागत कम करना और भारत की आयात-निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

#### 3. तटीय नौवहन अधिनियम, 2025

- ० भारतीय जहाजों के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को समाप्त करता है, तटीय नौवहन को प्रोत्साहित करता है।
- o 2047 तक तटीय माल ढुलाई की वृद्धि 165 मिलियन टन से बढ़कर 1,300 मिलियन टन होने का अनुमान।
- o एकीकृत तटीय और अंतर्देशीय जलमार्ग, टिकाऊ परिवहन और बेड़े के भारतीय स्वामित्व को बढ़ावा देता है।

#### 4. समुद्री माल ढुलाई अधिनियम, 2025

- ० हेग-विस्बी नियमों को अपनाता है, भारत के परिवहन कानुनों को वैश्विक प्रथाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करता है।
- o भारत-यूके सीईटीए जैसे व्यापार समझौतों को सुगम बनानें के लिए प्रावधानों को सरल बनाता है।
- o वाणिज्यिक दक्षता में वृद्धि और मुकदमेबाजी में कमी।

#### 5. बिल ऑफ लैडिंग अधिनियम, 2025

- o अधिकारों, देनदारियों और मुकदमों के हस्तांतरण पर कानूनी स्पष्टता प्रदान करता है।
- o समुद्री व्यापार में पारदर्शिता और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देता है।
- ० दस्तावेज़ीकरण प्रथाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप आधुनिक बनाता है।

#### भारत के लिए महत्व

- आर्थिक प्रभावः ये सुधार रसद लागत को कम करेंगे, विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित करेंगे और वैश्विक व्यापार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत करेंगे।
- सामिरक लाभः एक मज़बूत समुद्री ढाँचा हिंद-प्रशांत भू-राजनीति और व्यापार गिलयारों में भारत की भूमिका को बढ़ाता है।
- स्थिरता: प्रदूषण नियंत्रण, अपिशष्ट प्रबंधन और एकीकृत जलमार्गों पर प्रावधान हरित नौवहन को बढ़ावा देते हैं।

#### **DAILY CURRENT AFFAIRS**





 रोज़गार सृजन: प्रशिक्षण, कौशल विकास और बेड़े के विस्तार से बंदरगाहों, नौवहन और संबद्ध सेवाओं में रोज़गार सृजित होंगे।

#### आगे की चुनौतियाँ

- तटीय राज्यों में एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- पारिस्थितिक स्थिरता के साथ तीव्र बंदरगाह विस्तार का संतुलन बनाना।
- राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा की रक्षा करते हुए निजी निवेश को आकर्षित करना।
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को लागू करने हेतु संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ बनाना।

#### निष्कर्ष

 भारत के 2025 के समुद्री सुधार स्वतंत्रता के बाद से अब तक के सबसे व्यापक बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इस क्षेत्र को औपनिवेशिक युग के विनियमन से एक आधुनिक वैश्विक ढाँचे में परिवर्तित कर रहे हैं। आर्थिक दक्षता को स्थिरता के साथ जोड़कर, ये कानून समुद्री अमृत काल विजन 2047 के रणनीतिक प्रवर्तक हैं। यदि प्रभावी ढंग से लागू किए जाएँ, तो ये रसद लागत को कम कर सकते हैं, लाखों नौकरियाँ पैदा कर सकते हैं और भारत को हिंद-प्रशांत सदी में एक वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं।

#### **UPSC Mains Practice Question**

प्रश्नः 2025 में पाँच नए समुद्री कानूनों के अधिनियमन को भारत के समुद्री इतिहास में सबसे व्यापक सुधार कहा जा रहा है। चर्चा कीजिए कि ये सुधार भारत के समुद्री अमृत काल विज़न 2047 को प्राप्त करने में कैसे योगदान दे सकते हैं। (150 Words)





#### **Page: 08 Editorial Analysis**

### The new Constitution Bill, the need for a balancing act

oral integrity in the political class is a paradox that India has continually struggled with. While, on the one hand, the electorate demands moral rectitude in the political class, there has, on the other, been a pervading spectre of criminality prevailing in the political class. The proposed Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill, 2025, that was introduced in the Lok Sabha on August 20, 2025, is aimed at filling this vacuum by providing a condition. Under this, Ministers, Chief Ministers and even the Prime Minister must either resign or automatically be subject to removal if they continue to be in custody even after a consecutive period of 30 days in crimes that carry a maximum punishment of five years or more of imprisonment.

On the surface, the action appears to be a decisive initiative toward enabling cleaner politics. It touches upon the disturbing fact of corrupt leaders in custody holding on to power, a situation that has made people lose trust in governance. But there are political pitfalls and constitutional quandaries that lurk beneath its promise.

The foundation for this Bill rests on Articles 75, 164 and 239AA of the Constitution, which deal with the appointment and tenure of Ministers in the Union, States and Delhi, respectively. While Articles 75(1), 164(1) and 239AA(5) mandate that Ministers shall hold office at the pleasure of the President of India (or Governor), this "pleasure" has been judicially interpreted within the bounds of constitutional morality and legal propriety, as in cases such as Shamsher Singh and Ann. vs State Of Punjab and Nabam Rebia And Etc. Etc. vs Deputy Speaker And Ors.

#### Judicial pronouncements

The Supreme Court of India, in S.R. Bommai vs Union of India, underscored the role of constitutional morality as a guiding principle, thus pronouncing that democratic institutions must be nurtured through integrity and accountability. Later, in Manoj Narula vs Union of India, the Court directly addressed the ethical dimension of ministerial appointments, warning that individuals with serious criminal charges should not be entrusted with executive power. Although the Court stopped short of mandating automatic removal, it clearly signalled that morality is intrinsic to the constitutional framework. The Bill, therefore, draws strength from these pronouncements, seeking to give legislative form to what has long been a judicially recognised moral imperative.

But this Bill's very ambition may be its Achilles' heel. The most glaring issue concerns the principle of presumption of innocence, which forms part of the right to life and liberty under Article 21. To equate arrest and detention with



Samaveta Bal

is an advocate, a former Legislative Assistants to Members of Parliament (LAMP) Fellow (2024-25), and, currently, a Parliamentary, Legislative and Policy Researcher

The Joint

Committee

needs to

carefully

Parliamentary

recalibrate the

formulation of

the Constitution

(One Hundred

and Thirtieth

Amendment) Bill, 2025 grounds for removal, without conviction or even the framing of charges, risks undermining this foundational constitutional value. Section 8(3) of the Representation of The People Act concerns the disqualification of members on the conviction of certain offences. In the case of Lily Thomas vs Union of India, the Supreme Court held that a lawmaker, only upon conviction, immediately stands immediately disqualified. The three-month window to file an appeal and continue as a legislator was also struck down, thus providing jurisprudential support for stringent accountability even before the existence of the Bill. Here, it is important to note that disqualification begins only when someone is convicted, and not when someone is arrested or detained.

The problem is compounded by the Bill's reliance on executive discretion through the insertion of Clause 5A after Clause 5 of Article 75, Clause 4A after Clause 4 of Article 164 and Clause 5A after Clause 5 of Article 164 and Clause 5A after Clause 5 of Article 239AA of the Constitution. Ministers can be removed on the advice of the Prime Minister or Chief Minister, but automatic removal kicks in if such advice is withheld. This dual mechanism politicises the process: a Prime Minister may shield allies for 30 days, while a hostile Chief Minister may allow rivals to fall by the automatic rule. Instead of insulating governance from partisanship, the Bill risks embedding accountability in the shifting sands of political calculation.

#### Inconsistency in treatment

The inconsistency in treatment between legislators and Ministers further complicates matters. Members of Parliament and Members of State legislatures face disqualification only upon conviction under the Representation of the People Act. By contrast, Ministers under this Bill would be forced to resign on mere detention. This creates a paradoxical situation wherein a legislator convicted of corruption may technically continue as a Minister until disqualified under the Act, while a Minister only under arrest would be forced out. The asymmetry may appear to elevate the standards for executive office, but it also undermines consistency in the constitutional treatment of public officials. It risks deterring capable individuals from accepting ministerial responsibility, knowing that they face harsher consequences than their legislative peers on the basis of unproven allegations.

There is also the problem of the "revolving

There is also the problem of the "revolving door". Because the Bill allows reappointment once a Minister is released from custody, there could be cycles of resignation and reinstatement depending on the pace of legal proceedings. Imagine a Chief Minister who is arrested and detained for 31 days, who is forced to resign, but later released on bail and promptly reinstated by the Governor. The State would have endured

weeks of political uncertainty with little to gain in ethical accountability. Such instability may not only weaken governance but also incentivise tactical legal manoeuvres, where political actors use the law as a tool to manipulate executive offices.

#### Need for a more nuanced model

None of this is to deny the urgency of reform. The rise of criminalisation in politics is a stark reality. According to a comprehensive analysis by the Association for Democratic Reforms and National Election Watch of all 543 winning candidates in the 2024 general election, 251 Members of Parliament (46%) had declared criminal cases against themselves, up from 43% in 2019, 34% in 2014, and 30% in 2009, representing a 55% increase over 15 years. Yet, the bluntness of its approach risks undermining both the principle of fairness and the stability of governance. A more nuanced model would better serve the constitutional goal of clean politics without eroding democratic safeguards.

One pathway could be to link removal not to arrest but, instead, to judicial milestones such as the framing of charges by a competent court. This would ensure that only cases that pass initial judicial scrutiny trigger resignation, filtering out frivolous or politically motivated arrests. Another safeguard could be the establishment of an independent review mechanism, such as a tribunal or a judicial panel, to examine whether the conditions for removal have been met. This would prevent executive overreach and ensure impartial application. Similarly, instead of outright removal, the law could provide for interim suspension of ministerial functions during ongoing trials, allowing governance to continue without compromising accountability. Most importantly, the Bill should refine its scope to apply only to offences involving moral turpitude and corruption, rather than casting a wide net over any offence punishable with five years' imprisonment, which could include relatively minor criminal conduct.

In sum, the Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill, 2025, stakes out a significant normative position that citizens might welcome as a forceful stand against corruption and criminality. But its formulation elides the inherent tension between safeguarding democratic deliverance of justice and urgent demands for ethical governance. Unless the Joint Parliamentary Committee (JPC) carefully recalibrates to incorporate due process and institutional checks – the Bill is with the JPC – it could transmute constitutional safeguards into instruments of political exclusion, testing the delicate balance of India's democratic experiment. For, in the long run, power without integrity corrodes democracy, and integrity without fairness endangers it.

GS. Paper 02 भारतीय राजनीति

UPSC Mains Practice Question: "ईमानदारी के बिना सत्ता लोकतंत्र को नष्ट कर देती है, और निष्पक्षता के बिना ईमानदारी उसे खतरे में डाल देती है।" इस कथन के आलोक में, भारत में नैतिक शासन और लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन बनाने के लिए सुधार सुझाएँ। (150 words)





#### संदर्भ:

20 अगस्त, 2025 को लोकसभा में पेश किया गया संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025, राजनीति के अपराधीकरण की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। इसके तहत मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी पाँच साल या उससे अधिक की अधिकतम सज़ा वाले मामलों में लगातार 30 दिनों से ज़्यादा हिरासत में रहने पर इस्तीफ़ा देना होगा या स्वतः पद से हटा दिया जाएगा। हालाँकि यह विधेयक स्वच्छ राजनीति और जनविश्वास को बढ़ावा देता प्रतीत होता है, लेकिन यह निर्दोषता की धारणा, कार्यपालिका के विवेकाधिकार और लोकतांत्रिक स्थिरता से जुड़ी संवैधानिक, कानूनी और राजनीतिक दुविधाओं को भी जन्म देता है।

#### विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- अनुच्छेद 75, 164 और 239AA (दिल्ली) के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मंत्रियों पर लागू।
- नए खंड (जैसे, 75(5A)) जोड़ता है जो 30 दिनों की हिरासत के बाद इस्तीफ़ा देने या स्वतः पद से हटाने को अनिवार्य बनाते हैं।

#### दोहरी व्यवस्था के माध्यम से संचालित:

- o प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री की सलाह पर हटाया जाना।
- o 30 दिनों के भीतर ऐसी सलाह न मिलने पर स्वतः हटाया जाना।
- व्यक्ति के हिरासत से रिहा होने पर पुनर्नियुक्ति की अनुमति देता है।

#### न्यायिक और संवैधानिक संदर्भ

- एस.आर. बोम्मई (1994): शासन में सत्यनिष्ठा और संवैधानिक नैतिकता पर बल दिया गया।
- मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014): न्यायालय ने गंभीर आपराधिक आरोपों वाले मंत्रियों की नियुक्ति के विरुद्ध सलाह दी, लेकिन विवेकाधिकार प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया।
- लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013): सांसद/विधायक केवल दोषसिद्धि पर ही अयोग्य ठहराए जाते हैं, गिरफ्तारी पर नहीं।
- समस्या: विधेयक विधायकों की तुलना में मंत्रियों के लिए उच्च मानक निर्धारित करता है, जिससे असंगति पैदा होती है।

#### मुद्दे और चिंताएँ

#### 1. निर्दोषता की धारणा (अनुच्छेद 21):

- o दोषसिद्धि के बिना गिरफ्तारी/हिरासत पर हटाया जाना एक मूल संवैधानिक सिद्धांत को कमजोर करता है।
- o राजनीतिक रूप से प्रेरित गिरफ़्तारियों के ज़रिए दुरुपयोग की गुंजाइश बनती है।





#### 2. कार्यकारी विवेकाधिकार और राजनीतिकरण:

- o प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री राजनीतिक माहौल के आधार पर सहयोगियों को बचा सकते हैं या प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बना सकते हैं।
- o जवाबदेही पक्षपातपूर्ण राजनीति का बंधक बन जाती है।

#### 3. असंगति:

- ० विधायकों को केवल दोषसिद्धि पर ही अयोग्यता का सामना करना पडता है।
- o मंत्रियों को केवल हिरासत में लिए जाने पर ही पद से हटा दिया जाता है → संवैधानिक विषमता पैदा करता है।

#### 4. शासन अस्थिरता (रिवॉल्विंग डोर समस्या):

o मंत्री 30 दिनों की हिरासत के बाद इस्तीफ़ा दे सकते हैं लेकिन ज़मानत पर वापस आ सकते हैं → नीतिगत पक्षाघात और अनिश्चितता।

#### 5. अतिव्यापकताः

o नैतिक पतन/भ्रष्टाचार के गंभीर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, अपेक्षाकृत मामूली अपराधों सहित, 5+ वर्ष की सज़ा वाले सभी अपराधों पर लागू होता है।

#### एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता

- न्यायिक मील के पत्थरों से जुड़ाव: पद से हटाने का संबंध केवल गिरफ़्तारी से नहीं, बल्कि एक सक्षम अदालत द्वारा आरोप तय करने से होना चाहिए।
- स्वतंत्र समीक्षा निकाय: एक न्यायाधिकरण/न्यायिक पैनल यह देख सकता है कि निष्कासन की शर्तें पूरी हुई हैं या नहीं → कार्यपालिका के दुरुपयोग को रोकता है।
- अंतिरम निलंबन मॉडल: मंत्रियों को मुकदमे के लंबित रहने तक निलंबित किया जा सकता है (स्थायी रूप से नहीं हटाया जा सकता) → शासन की निरंतरता और जवाबदेही में संतुलन बनाता है।
- संकीर्ण दायरा: नैतिक अधमता, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक पद के दुरुपयोग से जुड़े अपराधों तक सीमित।

#### निष्कर्ष

• 130वाँ संशोधन विधेयक, 2025, राजनीति में ईमानदारी की लोकप्रिय माँग को दर्शाता है, खासकर बढ़ते अपराधीकरण (2024 के चुनावों में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले थे) की पृष्ठभूमि में। फिर भी, अपने वर्तमान स्वरूप में, यह विधेयक हिरासत को अपराध के बराबर मानकर संवैधानिक निष्पक्षता और स्थिरता को कमज़ोर करने का जोखिम उठाता है। एक सुनियोजित ढाँचा—न्यायिक मील के पत्थरों से निष्कासन को जोड़ना, गंभीर अपराधों तक दायरे को सीमित करना, और निष्पक्ष निगरानी स्थापित करना—यह सुनिश्चित कर सकता है कि विधेयक लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों को कम किए बिना नैतिक शासन को बढ़ावा दे। दीर्घकाल में, भारत का लोकतंत्र एक ऐसे संतुलन पर निर्भर करता है, जहां सत्ता का प्रयोग ईमानदारी के साथ किया जाता है, लेकिन ईमानदारी न्याय का त्याग किए बिना सुनिश्चित की जाती है।